हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज पार्थना संख्या 56/2017 अन्तर्गत धारा ....212 आरटीए गीता बनाम उमराव व अन्य	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए

वंशावली पेश हुई। उभया पक्ष के अभिभाषक उपस्थित। वादी अभिभाषक ने राजस्व मण्डल के द्वारा निर्णय हवाजा देते हुए प्रकरण मे आज ही बहस सुने जाने का निवेदन किया व कथन किया कि प्रार्थीया ग्राम की पर्दानशी विधवा महिला है प्रार्थीया के पिता दातार सिंह पुत्र श्री कान सिंह का हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रभाव मे आने के उपरान्त दिनांक 07.03.2000 को देहावासन हुआ था। प्रार्थी एंव अप्रार्थीया एक ही परिवार के सदस्य होकर छोटूसिंह के वारिसान है। उपरोक्त छोटूसिंह के विधिक वारिसान जोधसिंह, नाथूसिंह व कान सिंह थे। एंव जोधसिंह व नाथूसिंह नाऔलाद फौत हो गये उनमे से बचे कान सिंह के विधिक वारिसान प्रार्थीया एंव अप्रार्थीया संख्या 1 से 4 पूर्वाधिकारी दातार सिंह, अप्रार्थी संख्या 6 अमर सिंह एवं अप्रार्थी संख्या 7गणपत सिंह हुये। जिसके अनुसार वंशावली प्रार्थना पत्र मे अंकित की गई है ग्राम रामनेर ढाणी जिसका विवरण प्रार्थना पत्र 212 के विवरण भूमि के अ ब ब स व द य की भूमि प्रार्थीया व अप्रार्थीया संख्या 1 से 4 की पुश्तैनी भूमि है। जो अप्रार्थी संख्या 1 से 4 की निजी अर्जित श्रेणी की नही होकर पूर्वजो से विरासत के आधार पर अर्जित है। अ– मे अंकित भूमि प्रार्थीया के पिता दातार सिंह एंव पूर्वाधिकारी जोधसिंह, नाथू सिंह के विरासत हक, हिस्से, पारिवारिक समझोते के अनुसार सम्पूर्ण हिस्सा रहा था। प्रार्थना पत्र मे वर्णित वंशावली के अनुसार प्रार्थीया का वर्णित 1/3 हिस्सा बनता है ब– उपरोक्त भूमि मे प्रार्थीया के पिता दातार सिंह एंव पूर्वाधिकारी जोधसिंह, नाथूसिंह के विरासत हक हिस्से, पारिवारिक समझोते के अनुसार सम्पूर्ण हिस्सा रहा था सम्पूर्ण हिस्से मे प्रार्थीया का वंशावली के अनुसार 1/3 हिस्सा बनता है स– उपरोक्त भूमि मे प्रार्थीया के पिता दातार सिंह पूर्वाधिकारी जोधसिंह, नाथूसिंह के विरासत हक हिस्से पारिवारिक समझोते के अनुसार 1/2 हिस्सा बनता है उपरोक्त भूमि के वर्किंग खसरा नम्बर 176 रकबा 08–03–00 एंव 177 रकबा 16–11–00 है इस प्रकार कुल 24–14–00 थे जिसमे प्रार्थीया के पिता दातार सिंह 1/2 हिस्से के एंव अप्रार्थी संख्या 7 हिस्से 1/2 के सह–खातेदार काबिज काश्तकार थे एंव वर्तमान मे अप्रार्थी संख्या 7 के स्थान पर संख्या 5 हिस्से 1/2 के सह–खातेदार है। अप्रार्थी संख्या 5 एंव उपरोक्त अप्रार्थी संख्या 7 के हिस्से खातेदारी को लेकर प्रार्थीया का कोई विवाद नही है द–उपरोक्त भूमि मे प्रार्थीया के पिता दातार सिंह एंव पूर्वाधिकारी जोधसिंह, नाथूसिंह के विरासत हक हिस्से पारिवारिक समझोते के अनुसार 1/2 हिस्सा रहा था। उपरोक्त 1/2 हिस्से मे वर्णित वंशावली अनुसार प्रार्थीया 1/6 हिस्से की स्वामित्त रखती है एंव शेष 1/2 हिस्से के अप्रार्थी संख्या 6 का नाम दर्ज है प्रार्थीया का उपरोक्त अप्रार्थी संख्या 6 के हिस्से बाबत कोई विवाद नही है। य– उपरोक्त भूमि मे प्रार्थीया के पिता दातार सिंह एंव पूर्वाधिकारी जोधसिंह, नाथूसिंह के विरासत हक पारिवारिक समझोते अनुसार 1/2 हिस्सा रहा था। उपरोकत 1/2 हिस्सा मे वर्णित वंशावली अनुसार प्रार्थीया 1/6 हिस्से के स्वामित्व रखती है एंव शेष 1/2 हिस्से पर अप्रार्थी संख्या 6 का नाम दर्ज है प्रार्थीया का उपरोक्त अप्रार्थी संख्या 6 हिस्से बाबत कोई विवाद नही है। वर्णित भूमि मे मूलतः दातार सिंह पुत्र कान सिंह एंव उपरोक्त नाथूसिंह जोधसिंह के अधिकार मिलकीयत की थी एंव उपरोक्त आधार पर उपरोक्त भूमि प्रार्थीया की पुश्तैनी है। प्रार्थीया के पिता दातार सिंह पुत्र कान सिंह देहावासन उपरान्त अप्रार्थी संख्या 1 व 2 से 4 पूर्वाधिकारी हनुमान सिंह एंव भवंर कवंर पत्नि दातार सिंह के नाम विरासत के दोनो नामान्तकरण संख्या 220 दिनांक 07.08.2001 एंव 213 दिनांक 23.03.2001 को दर्ज किया गया था, उपरोक्त नामान्तकरण जन्म से ही शून्य व निशप्रभावी है क्योकि प्रार्थीया उपरोक्त दातार सिंह पुत्र कान सिंह की जायन्दा पुत्री होकर हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अनुसार प्रथम श्रेणी की वारिस उत्तराधिकारी है वर्णित आधार पर एंव उपरोक्त वंशावली के अनुक्रम मे प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 3 (अ) व (ब) मे वर्णित भूमि मे प्रार्थीया 1/3 हिस्से की एंव अप्रार्थी संख्या 1हिस्से 1/3 के अप्रार्थी संख्या 2 से 4 हिस्से 1/3 के दर्ज होना चाहिये इस प्रकार प्रार्थना पत्र पैरा संख्या 3 (स), (द), (य) मे वर्णित भूमि मे प्रार्थीया 1/6 हिस्से की अप्रार्थी संख्या 1 हिस्से 1/6 के एंव अप्रार्थी संख्या 2 से 4 हिस्से 1/6 के दर्ज होना चाहिये था। प्रार्थीया की माता भंवर कवंर का दिनांक 13.05.2013 को निधन हो चुका है प्रार्थीया की माता भंवर कवंर का देहान्तहोने के उपरान्त प्रार्थना पत्र की पैरा संख्या 2 मे वर्णित भूमि भंवर कवंर के अर्न्तनिहत हिस्से मे से 1/3 हिस्से पर प्रार्थीया 1/3 हिस्से पर अप्रार्थी संख्या 1 एंव अर्न्तनिहित हिससे मे से 1/3 हिस्से पर अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 के नाम राजस्व रेकार्ड मे नामान्तकरण संख्या 732 दिनांक 20.12.2016 को राजस्व रेकार्ड मे प्रार्थना पत्र पैरा 2 (अ) से (य) मे वर्णित भूमि के बाबत नामान्तकरण दर्ज किया गया था। उपरोक्त नामान्तकरण हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 15 के प्रावधानो के अनुक्रम मे प्रार्थी संख्या 2 की हद तक शून्य व निष्प्रभावी है।वर्ततमान राजस्व रेकार्ड के अनुसार उपरोक्त दातार सिंह एंव अन्य पूर्वाधिकारियो का नामान्तकरण प्रार्थीया के नाम दर्ज नही किये जाने से राजस्व रेकार्ड मे प्रार्थीया का नाम यथानुसार दर्ज है एंव उक्त दातार सिंह एंव अन्य पूर्वाधिकारियो का नामान्तकरण

Scanned by CamScanner

प्रार्थीया के नाम दर्ज किया जाता है तो प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 6 मे अंकित विवरण के अनुसार हिस्सा रहता है। अप्रार्थीगण की आपसी मिली भगत रही है। अप्रार्थी संख्या 1 से 4 एंव हनुमान सिंह पुत्र श्री दातार सिंह ने प्रार्थीया का उसके हिस्से से वंचित रखने की गरज से राजस्व अधिकारियो के समक्ष प्रार्थीया को उपरोक्त दातार सिंह की वंशावली से मिलीभगत कर एंव न्यायालय के समक्ष भी जानबूझकर अपूर्ण वंशावली विवरण कर कपटपूर्ण तरीके से प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 2 (अ) से (य) मे वर्णित का स्वंय को ही दातार सिंह आदि पूर्वाधिकरियो की वंशावली मे स्वंय को उत्तराधिकारी बताकर उपरोक्त त्रुटियुक्त राजस्व अंकन स्वंय के नाम दर्ज करवाया है। अप्रार्थी संख्या 1 से 4 त्रुटिपूर्ण राजस्व अंकन के आधार पर प्रार्थीया को उसके हिस्से उत्तराधिकार अधिनियम के अनुक्रम मे विरासत से प्राप्त उत्तराधीरियो को खुर्द बुर्द कर पर आमादा है। प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 2 (अ) से (य) की वर्णित भूमि अप्रार्थी संख्या 1 से 4 की स्वंअर्जित नही है एंव विरासत से प्राप्त भूमि है। जिसके सन्दर्भ मे मिलान क्षेत्रफल व जमाबन्दी भी प्रार्थीया के द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की गई है जिससे प्रार्थीया का प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रमाणित होता है। समसत त्रुटि मूलत नामान्तकरण संख्या 220 दिनांक 07.08.2001 एंव नामान्तकरण संख्या 213 दिनांक 23.03 2001 को प्रार्थीया के पिता दातार सिंह के देहावासन उपरान्त प्रार्थीया को उसके उत्तराधिकार से गलत नामान्तकरण दर्ज किये जाने के कारण हुयी है। उक्त त्रुटिपूर्ण इन्द्राज की आड मे अप्रार्थीगण उपरोक्त आराजी को अन्त्र बैचान करने पर सख्त आमादा है यदि वे ऐसा करने मे सफल हो ये तो प्रार्थीया अपनी वैतृक भूमि के हिस्से की आराजी से महरूम हो जावेगी। अतः अप्रार्थीगण को जरिये निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे।

अप्रार्थी संख्या 2 के द्वारा प्रस्तुत जवाब मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीया ने स्वंय स्वीकार किया है कि दातार सिंह पुत्र श्री कानसिंह का निधन दिनांक 07.03.2000 को हुआ है। प्रार्थीया के द्वारा पुश्तैनी सम्पति बाबत वाद प्रस्तुत किया गया है जबकि हिन्दु उत्तराधिकार के अन्तर्गत प्रार्थीया का उक्त पुश्तैनी सम्पति मे किसी प्रकार का कोई हक अधिकार निहित नही है। प्रार्थीया के द्वारा मात्र जवाब कुनिन्दा को मात्र हैरान परेशान करने की गरज से वाद प्रसतुत किया गया है तथा विवादित आराजियात के अतिरिक्त दातार सिंह की अन्य आराजियात भी है परन्तु प्रार्थीया के द्वारा कुछ चुनिन्दा आराजियात बाबत ही वाद प्रस्तुत किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि राजस्व वाद क्लीन हैण्ड से प्रस्तुत नही किया गया है। जबकि वर्णित आराजियात मे प्रार्थीया को कोई हक व अधिकार प्राप्त नही है। प्रार्थीया न्यायालय से किसी भी प्रकार की दादरसी प्राप्त करने की अधिकारी नही है। प्रार्थीया के द्वारा तस्दीक नामान्तकरण संख्या 732 दिनांक 20.12.2016 के विरूद्व आज दिनांक तक न्यायालय मे कोई अपील प्रस्तुत नही की गई है पक्षकारान के मध्य राजस्व वाद संख्या 63/2010 बउनवानी गणपत सिंह बनाम अमर सिंह प्रस्तुत किया गया था जिसका निर्णय दिनांक 23.06.2009 को निर्णित किया जा चुका है इस प्रकार बिना समक्ष न्यायालय से उक्त आदेश को निर्णित कराये प्रार्थीया न्यायालय से कोई दादरसी प्राप्त करने की अधिकारी नही है। अतः प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा तथा वाद संख्या 63/2010 बउनवानी गणपत सिंह बनाम अमर सिंह निर्णय दिनांक 23.06.2015 का अवलोकन किया गया। जिसमे प्रार्थीया पक्षकार नही है जबकि प्रार्थीया दातार सिंह की पुत्री होकर आराजी मे विधिक अधिकार प्रतीत होता है भूमि अविभाजित आराजी है जिसका वाद 88,188,53 का न्यायालय मे विचाराधीन है। जो दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य सबूत के बाद न्यायालय द्वारा तय किया जाना है भूमि को खुर्द बुर्द किये जाने से प्रथम दृष्टया पुश्तैनी आराजी मे हिस्से की क्षति व प्रथम दृष्टया प्रकरण व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीया के पक्ष मे होना स्पष्ट है। निषेधाज्ञा से पक्षकारान को पाबन्द नही किया गया तो बाद बाहुल्यता पडना तय है अतःउभय पक्ष को मूल वाद के निस्तारण तक विवादित आराजी के मौके व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखते हेतु जरिये निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर (प्र.), अजमेर
अजमेर

Scanned by CamScanner